

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 173

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02308

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "दीप्ति विहार कॉलोनी फेस-1", प्रमोटर-दीप्ति बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर, द्वारा-श्रीमती पार्वती बंजारे, पता-वार्ड क्रं.-18, दीप्ति विहार जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"दीप्ति विहार कॉलोनी फेस-1" पता-जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/06/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 1,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 17.05.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। चालान की मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर, प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करें। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	